भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1332
(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

देश भर में सीएसआर निधि का वितरण

1332. श्री शफी परम्बिलः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में सीएसआर निधियों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विभिन्न कारपोरेट संस्थाओं द्वारा सीएसआर के अंतर्गत राज्यवार कितनी राशि खर्च की गई है; और
(ग) पिछले तीन वर्षों में सर्वाधिक सीएसआर राशि किस क्षेत्र में खर्च की गई?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनको क्रियान्वित करने और उनपर निगरानी करने के लिए अधिकृत है। चूंकि यह एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है, इसलिए सरकार कंपनियों को किसी विशेष क्षेत्र/कार्यकलाप में व्यय करने के लिए कोई विशेष निर्देश जारी नहीं करती है।

(ख): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष) अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत में राज्यवार और विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक- I और अनुलग्नक- II में संलग्न है।

(ग): विभिन्न क्षेत्रों में, 2021-22 में स्वास्थ्य सेवा पर, 2022-23 और 2023-24 में शिक्षा पर सीएसआर की सर्वाधिक राशि व्यय की गई।

*****

अनुलग्नक-I

08.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1332 के भाग (ख) और (ग) से संदर्भित।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.71	2.53	3.03
2.	आंध्र प्रदेश	663.50	986.77	1,129.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	119.42	13.36	39.57
4.	असम	406.42	474.96	488.62
5.	बिहार	178.97	241.41	260.53
6.	चंडीगढ़	51.19	18.44	113.31
7.	छत्तीसगढ़	317.70	609.08	422.73
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	18.27	23.22	30.17
9.	दिल्ली	1,198.50	1,517.07	1,949.95
10.	गोवा	45.43	60.91	85.79
11.	गुजरात	1,613.18	2,060.02	2,707.54
12.	हरियाणा	687.13	720.38	816.95
13.	हिमाचल प्रदेश	140.27	141.40	148.59
14.	जम्मू और कश्मीर	50.68	72.19	98.54
15.	झारखंड	243.95	389.65	414.63
16.	कर्नाटक	1,849.82	2,058.73	2,254.88
17.	केरल	241.58	362.85	387.91
18.	लक्षद्वीप	0.97	0.02	0.36
19.	लेह और लद्दाख	14.84	11.72	30.41
20.	मध्य प्रदेश	427.48	668.32	600.47
21.	महाराष्ट्र	5,407.40	5,705.54	6,065.95
22.	मणिपुर	15.62	53.60	83.19
23.	मेघालय	19.63	22.94	30.94
24.	मिजोरम	6.94	11.01	4.48
25.	नागालैंड	12.46	13.57	15.41
26.	ओडिशा	752.37	994.82	1,389.39
27.	पुडुचेरी	9.31	14.29	32.68
28.	पंजाब	185.41	263.51	351.89
29.	राजस्थान	713.85	1,122.65	1,145.67
30.	सिक्किम	28.24	36.18	41.87
31.	तमिलनाडु	1,441.03	1,637.12	1,968.76
32.	तेलंगाना	688.58	1,040.61	1,054.92
33.	त्रिपुरा	15.91	19.26	9.45
34.	उत्तर प्रदेश	1,345.02	1,213.12	1,545.01
35.	उत्तराखंड	228.09	307.60	360.76
36.	पश्चिम बंगाल	571.89	782.74	862.57
37.	पैन इंडिया*	5,789.58	6,104.58	6,960.21
38.	अन्य केंद्रीकृत फंड	1,631.01	1,145.78	1,000.83
39.	एनईसी/उल्लेख नहीं*	0.09	10.12	1.06
कुल		**27,141.45**	**30,932.08**	**34,908.75**

(31.03.2025 का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन सेल)

*** कंपनियों ने या तो उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए थे या एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया था जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

अनुलग्नक-II

08.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1332 के भाग (ख) और (ग) से संदर्भित।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	कृषि वानिकी	35.52	67.28	74.47
2.	पशु कल्याण	174.35	325.44	531.14
3.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	47.65	63.63	68.04
4.	कला और संस्कृति	260.39	449.21	704.04
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	274.90	584.65	423.47
6.	पढ़ाई	6,719.89	10,414.93	12,134.57
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	2,441.82	2,008.04	2,429.97
8.	लैंगिक समानता	104.97	121.15	204.17
9.	स्वास्थ्य सेवा	8,049.49	7,023.60	7,150.81
10.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	880.50	1,703.64	2,360.09
11.	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	1,903.78	1,282.73	1,233.93
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1,847.07	2,059.41	2,408.09
13.	सुरक्षित पेयजल	192.34	252.78	327.45
14.	स्वच्छता	314.53	438.81	375.23
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	80.34	153.91	159.82
16.	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	101.00	49.50	41.80
17.	अनाथालय की स्थापना	27.54	44.99	31.57
18.	स्लम क्षेत्र विकास	58.38	94.22	38.82
19.	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	165.30	159.19	200.81
20.	विशेष शिक्षा	191.08	319.50	396.57
21.	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	8.57	1.48	1.91
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	311.71	542.53	692.09
23.	व्यावसायिक कौशल	1,053.80	1,206.75	1,396.55
24.	महिला सशक्तिकरण	264.94	417.26	454.22
25.	केंद्र सरकार के अन्य फंड	1,631.01	1,145.78	1,000.83
26.	एनईसी/उल्लेख नहीं*	0.59	1.65	68.32
कुल		**27,141.45**	**30,932.08**	**34,908.75**

(31.03.2025 का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन सेल)

* कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का संकेत दिया जहां परियोजनाएं शुरू की गईं

*****